राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमांक:एफ.16(1)(93)/सामान्य/आईसीडीएस/13/ 11710 जयपुर,दिनांक: 2.9.16

परिपत्र

प्रायः देखा गया है कि विभाग के उप निदेशक कार्यालयों / परियोजना कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के सम्बन्ध में वांछित स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र सीधे ही बिना किसी वांछित साक्ष्य /प्रमाण के निदेशालय मे प्रेषित किये जा रहे हैं । जो उचित नहीं हैं ।

उक्त के कम में सभी उपनिदेशक कार्यालयों/ परियोजना कार्यालय में सभी संवर्ग के कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षा मे भाग लेने की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्रों पर नियंत्रण अधिकारी की अभिशंषा अंकित करते हुए एवं उच्च अध्ययन/ प्रतियोगी परीक्षा से सम्बन्धित साक्ष्य /प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए नियंत्रणाधीन अधिकारी के माध्यम से वांछित स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र निदेशालय मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । निदेशालय मे बिना अभिशंषा एवं साक्ष्य/प्रमाणित प्रमाण पत्र के सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी जिसके लिए सम्बन्धित कार्मिक / अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें ।

31.8.16

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.16(1)(93)/सामान्य/आईसीडीएस/13/ 11711-157 जयपुर,दिनांक: 2.9.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं,राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी ....
4. कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय ।
5. आदेश पत्रावली ।
6. एसीपी वेव साईड पर अप लोड करने हेतु ।

31.8.16

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जलपथ गांधीनगर, जयपुर
विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in (Tel-Fax 0141-2700281 दूरभाष नं 0141-2713630